संख्या-148/2018/3607/71-2-2018-287/2017टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद बलरामपुर,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 13 दिसम्बर, 2018

विषयः- "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ ऐट बलरामपुर" की स्थापना के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1429/डी0एल0आर0सी0/चिकि0शि0/2018, दिनांक 06-12-2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद बलरामपुर में के0जी0एम0यू0 के सेटेलाइट कैम्पस की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- शासनादेश संख्या-147/2018/3584/71-2-2018-287/2017टी0सी0, दिनांक 13-12-2018 द्वारा "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ ऐट बलरामपुर" की स्थापना जनपद व तहसील-बलरामपुर के ग्राम सिरसिया, ग्राम-खगईजोत एवं ग्राम-महादेव मिश्र में अवस्थित कुल 23.505 हेक्टेयर भूमि पर किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ ऐट बलरामपुर" की स्थापना के संबंध में जिलाधिकारी बलरामपुर के उक्त पत्र दिनांक 06-12-2018 के प्रस्तावानुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

(क) जनपद व तहसील बलरामपुर, ग्राम-सिरसिया की खातौनी फसली वर्ष 1425-1430 खाता संख्या-657 गाटा संख्या-1178मि0 की ग्राम सभा की भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर है तथा जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी अकृषिक भूमि-जलमग्न भूमि नहर के नाम दर्ज है तथा जनपद व तहसील-बलरामपुर, ग्राम-महादेव मिश्र की खतौनी फसली वर्ष 1421-1426 फसली के खाता संख्या-852, गाटा संख्या-204 की ग्राम सभा की भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.061 हेक्टेयर है तथा जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी अकृषिक भूमि-जलमग्न भूमि खाते में नाली के नाम दर्ज है, को नियमानुसार पुर्नग्रहण कर, चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज करने का कष्ट करें।

ग्राम-सभा की प्रस्तावित आरक्षित श्रेणी की उक्त भूमियों का पुनर्ग्रहण, उतनी ही भूमि, उसी ग्राम सभा में लोकोपयोगिता के आधार पर सुरक्षित करने अथवा विनिमय के माध्यम से उपलब्ध कराने के पश्चात किया जाय।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) सेटेलाईट कैम्पस के अंतर्गत मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु ग्राम-सिरसिया में स्थिति भूमि कुल-11 किता, क्षेत्रफल 2.087 हेक्टेयर तथा ग्राम-खगईजोत में स्थिति कुल 07 किता, क्षेत्रफल 0.463 हेक्टेयर एवं ग्राम-महादेव मिश्र की कुल 9 किता, क्षेत्रफल-2.472 हेक्टेयर अर्थात कुल 5.022 हे0 भूमि जो राजस्व अभिलेखों में विभिन्न निजी खतेदारों के नाम दर्ज है, को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 तथा राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के अनुसार निजी काश्तकारों से आपसी सहमति/समझौते के आधार पर नियमानुसार क्रय कर चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज की जाय।

4- उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-148/2018/3607(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, देवीपाटन।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( कुलदीप कुमार रस्तोगी )
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।